संपादकीय

हाल ही में ई.एफ़.ए. वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2013/14 पढ़ने का मौका मिला, जिसके आँकड़े बताते हैं कि 2015 तक हम वैश्विक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है। यद्यपि इसके लिए हर देश में प्रयास जारी हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू हुए चार वर्ष बीत चुके हैं। समाचार पत्रों में छपी खबरें, कुछ सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गये सर्वेक्षणों के परिणाम चौंकाने वाले हैं, जो यह बताते हैं कि शिक्षा का अधिकार आज भी बहुत से बच्चों की पहुँच से बाहर है, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह अधिनियम शिक्षा का हक कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों, बालिकाओं, अल्पसंख्यक समुदायों व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिये जाने के लिए विशेष प्रयासों की माँग करता है। परंतु क्या हम पूर्ण रूप से ऐसा कर पाये हैं यह विश्लेषण व मनन का विषय है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा का यह अंक इस बुनियादी अधिकार से जुड़े कुछ लेख प्रस्तुत कर रहा है। ब्रजेश कुमार 'वर्मा' का लेख बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक विवरण दर्शाता है। रविन्द्र सिंह और वेंकटेश्वरुलु का लेख उत्तर प्रदेश के दो जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए इंगित करता है कि समावेशी कक्षायें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिक लाभकारी हैं परंतु इसके लिए शिक्षकों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। भारती द्वारा अनुवादित लेख भी समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षकों की पेशेवर तैयारी और निरंतर विकास की सिफ़ारिश करता है और इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण में बदलाव पर ज़ोर देता है।

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से बच्चे आज भी मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, सूफिया नाज़नीन के लेख में मुस्लिम विद्यार्थियों में नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्य विकसित करने में ***मदरसा तालीम*** की भूमिका पर चर्चा की गई है।

बच्चों की मातृभाषा व स्कूल की भाषा में अंतर होने की वजह से आज भी बहुत से बच्चे या तो स्कूली शिक्षा से बाहर रहते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। संजय कुमार सुमन ने अपने लेख में विश्लेषण किया है कि किस प्रकार हमारे देश में बहुत-सी स्थानीय, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाएँ लुप्त होती जा रही हैं। लेखक का मानना है कि यदि हम अल्पसंख्यक व आदिवासी समुदायों के सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो स्कूली शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृ भाषा होनी चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं के विकास के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।

Prilm.indd 3 4/13/2015 3:38:12 PM

इस अंक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ अन्य लेख भी शामिल हैं। दीप्ति श्रीवास्तव और शोभा का शोधपरक लेख एक गैरसरकारी आवास में रहने वाले बच्चों की आवाज़ों के माध्यम से बचपन की संकल्पना की पड़ताल करता है और बताता है कि बच्चे स्वयं के कार्यों द्वारा अपने और दूसरों के बारे में एक निश्चित समझ का निर्माण करते हैं। रश्मि श्रीवास्तव का लेख पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता दोहराते हुए उसके क्रियान्वयन की व्याख्या करता है। हंसराज पाल, नीलम शर्मा और आशा पाल का लेख मध्यप्रदेश राज्य द्वारा निर्मित माध्यमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन पर आधारित है। राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने लेख में उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त 11 विद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा पेश की है। अंत में राजेश कुमार जसवाल का लेख आज के बदलते परिवेश के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की माँग को दोहराता है।

अकादमिक संपादकीय समिति

Prilm.indd 4 4/13/2015 3:38:12 PM